रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032023-244531
CG-DL-E-21032023-244531

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1264] नई दिल्ली, मंगललवार, मार्च 21, 2023/फाल्गुन 30, 1944
No. 1264] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 21, 2023/PHALGUNA 30, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2023

का.आ. 1317(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,राजपत्र में आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित व्यक्तियों से मिल कर बनने वाले केरल तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है,अर्थात् :-

सारणी

क्र.सं.	व्यक्तियों के नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग, केरल सरकार, सरकारी सचिवालय, तिरुवनंतपुरम, केरल - 695001	अध्यक्ष, पदेन;
2.	प्रमुख सचिव, स्थानीय स्वशासन विभाग, केरल सरकार, या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त	सदस्य, पदेन;

	सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, सरकारी सचिवालय, तिरुवनंतपुरम, केरल - 695001	
3.	प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, केरल सरकार, या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, सरकारी सचिवालय, तिरुवनंतपुरम, केरल - 695001	सदस्य, पदेन;
4.	प्रमुख सचिव, वन एवं वन्य जीव विभाग, केरल सरकार या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, सरकारी सचिवालय, तिरुवनंतपुरम, केरल – 695001	सदस्य, पदेन;
5.	प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, केरल सरकार, या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, सरकारी सचिवालय, तिरुवनंतपुरम, केरल – 695001	सदस्य, पदेन;
6.	प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, केरल सरकार या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, सरकारी सचिवालय, तिरुवनंतपुरम, केरल – 695001	सदस्य, पदेन;
7.	सचिव, शहरी मामलों विभाग, केरल सरकार या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, सरकारी सचिवालय, तिरुवनंतपुरम, केरल – 695001	सदस्य, पदेन;
8.	डॉ. के. के. विजयन, 6 ए बी, बीसीजी मिडटाउन अपार्टमेंट, के एम ए बिल्डिंग के पास, पनाम्बिल्ली नगर, कोच्चि, केरल - 682036	विशेषज्ञ सदस्य;
9.	डॉ. रिचर्ड स्कारिया, सहायक प्रोफेसर, भूगोल विभाग, गवर्नमेंट कॉलेज चित्तूर, पलक्कड़, केरल – 678104	विशेषज्ञ सदस्य;
10.	डॉ. सी. रविचंद्रन, हाउस नंबर 1, पांचजन्यम, उदय नगर, कथरीकदावु, कोच्चि, एर्नाकुलम, केरल - 682017	विशेषज्ञ सदस्य;
11.	श्रीमती अमृता सतीसन, असिस्टेंट प्रोफेसर, मार ग्रेगोरियोस कॉलेज ऑफ लॉ नालनचिरा, तिरुवनंतपुरम, केरल	विशेषज्ञ सदस्य;
12.	प्रमुख, मालाबार प्राकृतिक इतिहास सोसाइटी, सुशीला मंदिर,कालीकट, बी. जी. रोड, नदक्कवु डाकघर,कालीकट, केरल - 673 011	सदस्य, गैर सरकारी संगठन;

13.	निदेशक, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय, केरल सरकार, चौथी फ्लूर केएसआरटीसी बस टर्मिनल, थम्पनूर, तिरुवनंतपुरम, केरल - 695001	सदस्य सचिव, पदेन ।

2. प्राधिकरण का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम,केरल में होगा।

3. प्राधिकरण की बैठक के लिए गणपूर्ति इसके सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी।

4. सदस्य, पदेन सदस्य के अतिरिक्त, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा निबंधन और शर्तों के अनुसार भत्ते का भुगतान करेंगे।

5. हितों के टकराव से बचने के लिए, सदस्य किसी भी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में, प्रदान की गई परामर्श सेवा,प्राधिकरण की बैठक से स्वयं का बचाव करेगा।

6. प्राधिकारी के पास केरल राज्य में विनियमन जोन क्षेत्र में तटीय पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करने और पर्यावरण प्रदूषण को निवारक, उपशमन और नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी,अर्थात् :-

(i) यथास्थिति, भारत सरकार, अधिसूचना सं0 का0आ0 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 या अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 37(अ), तारीख 18 जनवरी, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा जारी तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2019 की अपेक्षाओं के भीतर अनुमोदित तटीय जोन प्रबंधन योजना के अनुसार परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए परियोजना प्रस्तावकों से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा करने और आवेदन की प्राप्ति से साठ दिनों की अवधि के भीतर उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट संबद्ध प्राधिकारी के परियोजना के अनुमोदन के लिए सिफारिश करना;

(ii) उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट तटीय विनिमय जोन में सभी विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करना;

(iii) उक्त अधिसूचना के उपबंधों को प्रवृत्त करने और निगरानी करने के लिए उत्तरदायित्व;

(iv) भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), संख्या का0आ0 4650(अ), तारीख 30 सितंबर, 2022 में प्रकाशित भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में यथानिर्दिष्ट अधिनियम की धारा 5 के अधीन जारी किए गए निदेश;

(v) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) अधिसूचना सं0 का.आ. 4648(अ), तारीख 30 सितंबर, 2022 में प्रकाशित भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की संशोधित अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा कार्रवाई करना ;

(vi) उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करना;

(vii) तटीय विनियमन जोन क्षेत्र या तटीय जोन प्रबंध योजना के वर्गीकरण में परिवर्तन या उपांतरण के लिए केरल राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा और उस पर राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के लिए विशिष्ट सिफारिशें करना;

(viii) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधिकथित अतिक्रमण के मामलें की जांच करना और उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में अंतर्वलित अतिक्रमण या उल्लंघन के मामले में पुनर्विलोकन करना ; और

(ix) किसी व्यक्ति या निकाय या किसी संगठन द्वारा उसके समक्ष की गई शिकायत के आधार पर या स्वमेव उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण या उल्लंघन की जांच और पुनर्विलोकन के मामले;

7. प्राधिकरण, अपने क्रियाकलापों के संबंध में पारदर्शिता बनाए रखने के प्रयोजन से एक समर्पित वेबसाइट बनाएगा और अपने कृत्यों से संबंधित जानकारी पोस्ट करेगा, जिसके अंतर्गत इसकी बैठक की कार्यसूची, बैठक के कार्यवृत्त, बैठक में लिए गए विनिश्चय, उल्लंघन पर मामलों की सिफारिश और उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण और उल्लंघन के मामले में सिफारिशें और न्यायालय मामलों पर ऐसे अतिक्रमण पर की गई कार्रवाई जिसके अंतर्गत् जिसके अंतर्गत न्यायालय का आदेश केरल सरकार के तटीय जोन प्रबंधन योजना का अनुमोदन सम्मिलित है, पर की गई कार्रवाई;

8. प्राधिकरण, राष्ट्रीय तटीय जोन क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण को छह मास में कम से कम एक बार अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

[फा. सं. जे-17011/26/2007—आईए.III(पार्ट)]

डा. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 21st March, 2023

S.O. 1317(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes the Kerala Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, specified in Column (2) of the Table below, for a period of three years with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely:-

TABLE

Serial Number	**Name of persons**	**Designation**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	Additional Chief Secretary, Environment Department, Government of Kerala, Government Secretariat, Thiruvananthapuram, Kerala -695001	Chairman, *ex officio;*
2.	Principal Secretary, Local Self Government Department, Government of Kerala, or his representative not below the rank of Joint Secretary, Government Secretariat, Thiruvananthapuram, Kerala -695001	Member, *ex officio;*
3.	Principal Secretary, Industries Department, Government of Kerala, or his representative not below the rank of Joint Secretary, Government Secretariat, Thiruvananthapuram, Kerala - 695001	Member, *ex officio;*
4.	Principal Secretary, Forest and Wild Life Department, Government of Kerala, or his representative not below the rank of Joint Secretary, Government Secretariat, Thiruvananthapuram, Kerala -695001	Member, *ex officio;*
5.	Principal Secretary, Fisheries Department, Government of Kerala, or his representative not below the rank of Joint Secretary, Government Secretariat, Thiruvananthapuram, Kerala - 695001	Member, *ex officio;*
6.	Principal Secretary, Revenue Department, Government of Kerala, or his representative not below the rank of Joint Secretary, Government Secretariat, Thiruvananthapuram, Kerala - 695001	Member, *ex officio;*
7.	Secretary, Urban Affairs Department, Government of Kerala, or his representative not below the rank of Joint Secretary, Government Secretariat, Thiruvananthapuram, Kerala - 695001	Member, *ex officio;*
8.	Dr. K. K. Vijayan, 6 AB, BCG Midtown Apartments, Near KMA Building, Panambilli Nagar, Kochi,	Expert Member;

	Kerala - 682036	
9.	Dr. Richard Scaria, Assistant Professor, Department of Geography, Government College Chittur, Palakkad, Kerala - 678104	Expert Member;
10.	Dr. C. Revichandran, House No.1, Panchajanyam, Udaya Nagar, Kathrikadavu, Kochi, Ernakulam, Kerala - 682017	Expert Member;
11.	Smt. Amrutha Satheesan, Assistant Professor, Mar Gregorios College of Law Nalanchira, Thiruvananthapuram, Kerala	Expert Member;
12.	Head of Malabar Natural History Society, Susheela Mandir, B.G.Road, Nadakkavu P.O., Calicut, Kerala - 673011	Member, Non-Government Organisation;
13.	Director, Directorate of Environment and Climate Change, Government of Kerala, 4th Floor, KSRTC Bus Terminal, Thampanoor, Thiruvananthapuram, Kerala -695001	Member Secretary, *ex officio.*

2. The Headquarter of the Authority shall be at Thiruvananthapuram, Kerala.

3. The quorum for the meeting of the Authority shall be one third of the total number of its members of the Authority.

4. The member, other than an *ex officio* member, shall be paid allowances as per the terms and conditions decided by the Central Government in this behalf.

5. In order to avoid any conflict of interest, the member shall recuse himself from the meeting of the Authority, in the process of appraisal of any project, for which they have rendered consultancy service.

6. The Authority shall have power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the Coastal Regulation Zone areas in the State of Kerala, namely:-

(i) examination of proposals received from the project proponent for approval of project proposal, in accordance with the approved Coastal Zone Management Plan and within the requirements of the Coastal Regulation Zone notification, 2011 issued by the Government of India vide number S.O.19(E), dated the 6th January, 2011 or Coastal Regulation Zone Notification, 2019 issued vide number G.S.R. 37(E), dated the 18th January, 2019 (hereinafter referred to as the said notification), as the case may be, and make recommendation for approval of project to the concerned authority, as specified in the said notification, within a period of sixty days from the date of receipt of application;

(ii) regulate all developmental activities in the Coastal Regulation Zone areas as specified in the said notification;

(iii) responsible for enforcing and monitoring the provisions of the said notification;

(iv) issue directions under section 5 of the said Act as specified in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 4650(E) dated the 30 September, 2022;

(v) take action by the person as specified in the amendment notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 4648(E) dated the 30 September, 2022;

(vi) file complaint under section 19 of the said Act;

(vii) examination of proposals received from the State Government of Kerala for changes or modifications in the classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan and making specific recommendations thereon, to the National Coastal Zone Management Authority;

(viii) inquire into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder, and review the cases involving violation or contravention of the provisions of the said Act and the rules made thereunder; and

(ix) inquire and review cases of violation or contravention of the said notification suo-moto or on the basis of a complaint made by any individual or body or organization before it;

7. The Authority shall, for the purpose of maintaining transparency in its functioning, create a dedicated website and post the information relating to its functions, including the agenda in its meeting, minutes of the meeting, decision taken in the meeting, recommendation for matters on violation and contravention of the said notification and action

taken on such violation and court matter including the order of the court and the approved Coastal Zone Management Plan of the Government of Kerala.

8. The Authority shall furnish report of its activity at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

[F. No. J-17011/26/2007-IA.III(Part)]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.03.21 16:10:29 +05'30'